

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-6  
संख्या-1121/दो-6-2018-53(62)/97  
लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2018

**कार्यालय-ज्ञाप**

श्री राज्यपाल अखिल भारतीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-1954 व चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91, दिनांक 02 जुलाई, 1991 सपठित शासनादेश संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14, दिनांक 19.09.2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री एस0एन0 शुक्ल, आई0ए0एस0 को आपातकालीन परिस्थितियों में दिनांक 14.05.2018 से 30.05.2018 के मध्य स्वयं के उपचारार्थ 05 वाउचर्स के अनुसार क्रीत औषधियों पर हुए व्यय के सापेक्ष एक तिथि में रू0-750/- की सीमा के अधीन अनुमन्य धनराशि कुल रू0-2,095/- (रूपये दो हजार पन्चान्नबे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के उसी लेखाशीर्षक की मानक मद "49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा, जिससे श्री एस0एन0 शुक्ल आई0ए0एस0 का वेतन आहरित किया जाता है।


अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।

संख्या-1121(1)/दो-6-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- इरला चेक अनुभाग को दो प्रतियों में मूल चिकित्सा वाउचर्स सहित।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 4- श्री एस0एन0 शुक्ल, आई0ए0एस0, अपर मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोक्त

आज्ञा से,  
  
(कमला सिंह यादव)  
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
नियुक्ति अनुभाग-6  
संख्या-1104/दो-6-2018-53(12)/2003  
लखनऊ: दिनांक : 19 जून, 2018  
कार्यालय जाप

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(चिकित्सा परिचर्चा) नियमावली-2011 यथासंशोधित-2014 में निहित प्राविधानों के अधीन श्री भवनाथ, से0नि0, आई0ए0एस0 को उनकी पत्नी श्रीमती लीला सिंह के दिनांक 08.02.18 से 08.03.18 तक डा0 एल0के0 शंखधर, लखनऊ से कराये गये उपचार पर हुए व्यय के सापेक्ष रू0-2,597/- (रूपये दो हजार पांच सौ सत्तानबे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-04-राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-0402-दिनांक 08 नवंबर, 2000 के पश्चात् सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों व उनके आश्रितों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता-49-चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।


3- श्री भवनाथ का यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, गोमतीनगर, पत्रकारपुरम् लखनऊ में खाता संख्या-514002010000758 तथा आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0551406 है। इनका पी0पी0ओ0 संख्या- पी-001/075/070374 है तथा यह कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ से अनंतिम पेंशन आहरित करते हैं।

अरविन्द मोहन चित्रांशी  
विशेष सचिव।

संख्या-1104(1)/दो-6-2018. तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम , उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- नियुक्ति(लेखा) को दो प्रतियों में मूल बिल/बाउचर्स सहित।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
- 5- श्री भवनाथ, आई0ए0एस0, से0नि0, 2/6, विनयखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 6- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।
- 7- कम्प्यूटर प्रोग्रामर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,  
  
( कमला सिंह यादव )  
अनुसचिव।